Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment	Not applicable	**Group-'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3.Administrative Officer, Central Ground Water Board - Member.	Not applicable.

[F.No. A. 31013/02/2019-CGWB]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2019

सा.का.नि.126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक भण्डारी) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक भण्डारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक भण्डारी) भर्ती नियम 2019 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक भण्डारी	94* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19,900-63,200)	अचयन	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**आवश्यक:-** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य, हिन्दी का ज्ञान रखता हो; और (ii) कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सैक्टर कंपनी में भंडार लेखा अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
(i) आयु: नहीं; (ii) शैक्षिक अर्हताएँ: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 40% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सके पर सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 60% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे तकनीकी ऑपरेटर (भंडारण) जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमे भंडार लेखा के अनुरक्षण का दो वर्ष अनुभव सम्मिलित है । **प्रशिक्षण**: जिन्होंने राष्ट्रीय भूगर्भ जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या राष्ट्रीय स्तर के अन्य किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण तात्विक हैंडिलिंग, भंडार का रख रखाव और भंडार लेखा स्तर-1 में पूरा किया हो । **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी	**अध्यक्ष** **सदस्य** **सदस्य**	लागू नहीं होता ।
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	**अध्यक्ष** **सदस्य** **सदस्य**	

[फा. सं. ए. 31013/01/2019- सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2019

G.S.R.126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Assistant Store Keeper) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Store Keeper in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Assistant Store Keeper) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Store Keeper	94*(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group'C'), Non-Gazetted, Non-ministerial	Level-2 (Rs.19,900-63,200/-)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:-** (i) 12th pass from a recognised Board or equivalent possessing knowledge of Hindi; and (ii) three years experience of maintaining stores accounts from Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Private Sector Company registered under the Companies Act. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other	(i) Age: No; (ii) Educational Qualification: No.	Two years for direct recruits.

	Backward Classes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them.		

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made.
(10)	(11)
(i) 40 per cent by promotion failing which by direct recruits; and (ii) 60 per cent by direct recruitment.	**Promotion:** From Technical Operator (Stores) with three years regular service in the grade including two years experience of maintaining stores and accounts. **Training:** Two weeks training on material handling, storekeeping and stores accounting Level-1 from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level recognised institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3.A Group 'A' Officer from another Central Government Department - Member. **Group-'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board - Member.	Not applicable

[F.No. A. 31013/01/2019-CGWB]
S.K. KATARIA, Under Secy.